UPJB010033562026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)
चन्द्रपाल सिंह बनाम नितेश आदि।
विविध वाद सं०– 148/2026
धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–आदमपुर, जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः-09.06.2026

1. पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

2. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण नितेश एवं नरेश के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं विवेचना कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर घटना यह प्रकट की गई है कि आवेदक चन्द्रपाल के साथ दिनाँक 12.04.2026 को समय करीब रात्रि 08:00 बजे गाँव के ही नरेश, नितेश, प्रताप ने गेहूँ निकलवाने के विवाद के कारण आवेदक व आवेदक के पुत्र के साथ गाली गलौच कर लाठी डण्डो से मारपीट की और आवेदक को जान से मारने की धमकी जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर अ0सं0-69/2026 धारा-351(2), 352,115(2), बी०एन०एस० मे उक्त मुल्जिमान के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। जिससे उक्त मुल्जिमान आवेदक के साथ रंजिश रखते है। घटना दिनाँक 03.05.2026 को समय करीब 06:20 बजे की है कि आवेदक अपने खेत से कृषि कार्य करके वापस अपने घर को आ रहा था जैसे ही आवेदक गाँव के ही शीशराम के आम के बाग वाले पक्के रास्ते पर पहुँचा तो आवेदक को गाँव के नरेश, नितेश ने आवेदक से कहा कि तूने हमारे खिलाफ थाने में मुकदमा क्यो दर्ज कराया है उस मुकदमे को तू वापिस ले ले और हमसे समझौता कर ले आवेदक ने मुकदमा वापस लेने से इंकार कर दिया तो उक्त व्यक्ति आग बबूला हो गये और आवेदक को जातिसूचक गालियाँ जैसे डेढ़, चमार, चमट्टे आदि कहकर अपमानित करने लगे आवेदक ने गालियों का विरोध किया तो उक्त मुल्जिमान ने आवेदक के साथ लात घूसो से मारपीट करने लगे और आवेदक से कहने लगे कि यदि तूने पुराने मुकदमे मे हमसे समझौता नही किया तो हम तुझे जान से मार देंगे। और आवेदक की जेब में रखे 60/-रू० नितेश पुत्र प्रताप ने जबरजदस्ती जेब फाड़ कर

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.09 16:52:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

छीन लिये। आवेदक के शोर की आवाज पर खेतों पर काम कर रहे गाँव के ही प्रेमपाल व महीपाल ने आवेदक को बचाया। आवेदक को काफी गुम चोटे आई। आवेदक उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया, लेकिन थाने वालो ने कोई कार्यवाही नही की, आवेदक ने मजबूरन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अमरोहा को प्रेषित किया था परन्तु कोई कार्यवाही ना होने पर उक्त विविध वाद योजित किया गया।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक अमरोहा को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति एवं पंजीकृत डाक रसीद, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रतियां, एक्सरे प्लेट्स आदि प्रपत्र दाखिल गये हैं।

5. संबंधित थाने की आख्यानुसार संबंधित थाना हाजा पर प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/आवेदक के पास परिवाद के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के तहत जांच भी करा सकती है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी, अन्तर्गत धारा 223 BNSS, दिनांक 15.07.2026 को पेश हो।

शैलजा राठी
Id. No:–UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अमरोहा।